

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उप जिला कलेक्टर

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दोसा)

मुकाम

बांदीकुई

दोसा

बनाम

रामा देवी

सुन्दरना

रामा देवी

नं०

१६

सन्

२०१६

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

13-3-18 प्रजवली पत्रिका वकील उन्मुकुल
उप खण्ड अधिकारी सुनी मी। बांदीकुई
दोसा तामिक 16-3-18 को फर्द हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दोसा)

16-3-18 प्रजवली पत्रिका वकील
उन्मुकुल उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दोसा)
द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षेप में
तक्य निम्न प्रकार है:-

यह कि अपीलान्त द्वारा नामांकन ॥
तमिक 5-4-16 को अपीलान्त द्वारा
नामान्तापना पर उसे अपीलान्त के विरुद्ध
एक अपील पत्र की जिले में नामांकन
द्वारा उसके विरुद्ध नामांकन
शेखर मय तथा अपीलान्त के विरुद्ध पत्र
का स्वागत होने के बावजूद नामांकन
की अपील की है जिसे निरस्त करने
की अपील में सुनवाई की है

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दोसा)

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

08/2016

नम्
अह
हुक
मं ज

2-

यह कि कमील अमीलान्ट उस्तुत
 होके पर रेसॉडेन्स ओ लालक लामा
 जाल्म आपलि उस्तुत ओके हेतु -
 बार बार कवखर हिये ओ पाल्नु ओके
 आपलि उस्तुत गरी ओके म् बधस
 कमील सुनी गरी। विहाग कश्चिमाफकमेजा
 की बधस सुने व उस्तुत राजस
 रेसॉडेन्स ओ कवखरेण ओके केपथअर
 अमील अमीलान्ट-स्वीकार की जाकर
 रिमाण्ट की जाती है कमील रिमाण्ट
 ओ लहसीलर वसवा ओ अडेम
 डिपा जाता है कि नामां 190 11 डिनांक
 5-4-16 50000 माण्डेडा ओ खिरस
 डिपा जाल्म कमील-चीर नामान्तावण
 की पुनः विधिवत दोनो पक्षो की
 सुनवाई कर विधि-संग्रह कडेण
 पारित ओ पुनः नामान्तावण खोल
 जाके के कडेण हिये जाते है
 कडेण कान डिनांक 16-3-18 के मेर
 शरा खिववाण जाल्म खुले इजालस
 सुनण गरी। पालन हेतु लहसीलर
 वसवा ओ लहरीर जारी हो पावली
 वाड प्रति जम्हा कमील इफ्तर हो

जज अथवा अधिकारी
बाबुरई (दोवा)